No.14028/3/2008-Estt.(L) Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
[Department of Personnel & Training]

New Delhi, the 16 November, 2009.

OFFICE MEMORANDUM

Recommendations of the Sixth Central Pay Commission relating to encashment of leave in respect of Central Government employees.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even number dated 25th September, 2008 on the subject mentioned above according to which encashment of leave in respect of central Government employees will be considered both for earned leave and half pay leave subject to overall limit of 300 days and in respect of encashment of half pay leave, no reduction shall be made on account of pension and pension equivalent of other retirement benefits. In case of shortfall in earned leave, no commutation of half pay leave is permissible. The order was made effective from the 1st September, 2008. The matter was reconsidered in this Department in consultation with the Department of Expenditure (Implementation Cell) and it has been decided to modify the date of effect of this Department's O.M of even number dated 25th September, 2008 to 01.01.2006 instead of 01.09.2008 subject to the following conditions:-

- (i) The benefit will be admissible in respect of past cases on receipt of applications to that effect from the pensioners concerned by the Administrative Ministry concerned.
- (ii) In respect of retirees who have already received encashment of earned leave of maximum limit of 300 days together with encashment of HPL standing at their credit on the date of retirement, such cases need not be reopened. However, such cases in which there was a shortfall in reaching the maximum limit of 300 days can be reopened.
- (iii) Calculation of cash equivalent in respect of HPL at credit shall be made *mutatis mutandis* in the manner given in this Department's O.M. of even number dated 25.09.2008.
- 2. In respect of persons serving in the Indian Audit & Accounts Departments, these O.M. issues with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India.
- Hindi version is enclosed.

(Zoya C.B.)

Under Secretary to the Govt. of India.

To

सं. 14028/3/2008-स्था.(छुट्टी) भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवंबर, 2009

कार्यालय जापन

विषय : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी के नकदीकरण के बारे में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें ।

अद्योहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 25 सितंबर, 2008 के समसंख्यक कार्यालय जापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसके अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी के नकदीकरण पर 300 दिन की समग्र सीमा के अध्यधीन अर्जित छुट्टी और अर्द्ध वेतन छुट्टी दोनों के लिए विचार किया जाएगा और अर्द्ध वेतन छुट्टी के नकदीकरण के मामले में अन्य पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त प्रसुविधाओं के पेंशन तुल्य में कोई कटौती नहीं की जाएगी । अर्जित छुट्टी में कमीं पड़ने के मामले में अर्द्ध वेतन छुट्टी का कोई भी संराशीकरण अनुमत्य नहीं है । यह आदेश 1 सितंबर, 2009 से प्रभावी बनाया गया था । इस मामले पर व्यय विभाग(कार्यान्वयन प्रकोष्ठ) के परामर्श से इस विभाग में विचार किया गया और निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन इस विभाग के दिनांक 25 सितंबर, 2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन को प्रभावी बनाने की तिथि को संशोधित करके 1.9.2009 की बजाए 1.1.2006 करने का निर्णय किया गया है:-

- (i) यह लाभ संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा संबंधित पेंशनभोगी से उस आशय के आवेदन प्राप्त होने के पश्चात पिछले मामलों के संबंध में अनुजेय होगा ।
- (ii) सेवा निवृत्त हुए ऐसे कार्मिकों जिन्होंने अपनी सेवा निवृत्ति की तारीख को अपने खाते में जमा अधिकतम 300 दिन की अर्जित छुट्टी अर्द्ध वेतन छुट्टी का नकदीकरण सहित प्राप्त कर ती हो, उनके मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे । तथापि, ऐसे मामले जिनमें छुट्टियों की संख्या 300 की अधिकतम सीमा से कम थी, वही खोले जा सकते हैं ।
- (iii) खाते में जमा अर्द्ध वेतन छुट्टी के संबंध रोकड़ तुल्य की गणना इस विभाग के दिनांक 25.9.2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में दिए गए तरीके के अनुसार यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित की जाएगी।
- जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, यह कार्यालय जापन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किया जाता है ।

्रोया श्नी ज़ी. (ज़ोया सी.बी.)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में.

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग